

परियोजना का नाम:-

जनपद-टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलैथ-क्यारा मोटर मार्ग के किमी० 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-7.550 किमी० (मसूरी वन प्रभाग-0.775 किमी० एवं नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-6.775किमी०) के नव निर्माण हेतु कुल 3.33 है० (मसूरी वन प्रभाग-0.3825है० एवं नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-2.9475है०) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि-0.0270 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि-0.3555 है० कुल 0.3825 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का औसत घनत्व 0.1 है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 6,57,000=00(रू० छः लाख सतावन हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 2,51,303=00(रू० दो लाख इक्कावन हजार तीन सौ तीन मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी